न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन–99/2020 अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उनवान :–

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1. प्रागाराम पुत्र चमनाराम 2. वेनाराम पुत्र चमनाराम 3. वीलाराम पुत्र चमनाराम 4. हेमाराम पुत्र चमनाराम 5. निम्बाराम पुत्र चमनाराम जाति रबारी, निवासी पांचरला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर	1. जूंजाराम पुत्र विरिया के कायम मुकाम 1/1 टीकमारमा पुत्र जूंजाराम 1/2 दलाराम पुत्र जूंजाराम 1/3 नागजी पुत्र जूंजाराम 1/4 रमेश पुत्र गेनाराम 1/5 अणछी पत्नी गेनाराम जातियान रबारी, निवासी पांचरला, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर 2. शाखा प्रबन्धक, बीसीसीबी शाखा सेड़वा 3. तहसीलदार साहब, सेड़वा जिला बाड़मेर।

वकील प्रार्थीगण :– श्री मोहनलाल खिलेरी

निर्णय

दिनांकः– 04/02/2026

प्रार्थीगण प्रागाराम पुत्र चमनाराम जाति रबारी निवासी पांचरला, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एक काश्तकार हैं एवं प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जाशुदा खेत खसरा संख्या 101 रकबा 123.05 बीघा किस्म बारानी दोयम का ग्राम पांचरला पटवार क्षेत्र फागलिया भू अभिलेख निरीक्षक फागलिया तहसील सेड़वा में आया हुआ है। जिस पर प्रार्थीगण का अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त है तथा अपने रहवास हेतु ढाणियां, टांके व मवेशियां के बाड़े आदि बने हुए है। प्रार्थीगण की जोत व ढाणियों पर आने जाने के लिए विप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 100 रकबा 37.00 बीघा में से चल कर सड़क मार्ग तक आने जाने के लिए एम मात्र रास्ता है। प्रार्थीगण की जोत पर आने जाने हेतु कदीम रास्ता है, जिसका उपयोग प्रार्थीगण वर्षों से करते आ रहे है तथा यह एकमात्र रास्ता है। काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत खेत खसरा संख्या 101 रकबा 123.05 बीघा के [illegible] के काश्तकार अपनी काश्त कर लेते है जिससे प्रार्थीगण को अपनी जोत में जाने [illegible] रास्ते को लेकर भारी विरोध होता

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.20 15:15:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

है। झगड़ा होने की पूर्ण सम्भावना बनी रहती है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि का उपयोग मात्र आवागमन हेतु करेगा, इस संबंध में प्रार्थीगण रास्ते बाबत् विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के अन्य किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अतः निवेदन है कि सड़क मार्ग से प्रार्थीगण के खेत पांचरला पटवार क्षेत्र फागलिया तहसील सेड़वा के खेत खसरा संख्या 101 रकबा 123.05 बीघा में जाने हेतु विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 100 रकबा 37.00 बीघा में से नया मार्ग खोलने का आदेश कर स्वीकृत मार्ग को राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में अंकित करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया। तहसीलदार सेड़वा को प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते से संबंधित तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन हेतु न्यायालय के पत्रांकः रीडर/2022/749 दिनांक 17.06.2022 के द्वारा तहसीलदार सेड़वा को लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2025/225 दिनांक 19.05.2025के द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई,जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम पांचरला के खातेदारान् प्रागाराम, बेनाराम, वीलाराम, हेमाराम, निम्बाराम पि. चमनाराम कौम रबारी ने अपनी खातेदारी खेत खसरा संख्या 101 रकबा 123.05 बीघा किस्म बारानी सोयम से सड़क मार्ग तक आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 100 रकबा 37.11 बीघा में से होकर रास्ते हेतु समर्पण भूमि खसरा संख्या 96 तक पहुंचने के लिए रास्ते की मांग की है। मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई–

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	टीकमाराम दलाराम नागजी पि. जूंजा 3/4 हि. रमेश पुत्र गेनाराम अणसी पत्नी गेनाराम 1/4 हि. कौम रेबारी सा. देह खातेदार रहन दी सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लि. शाखा सेड़वा	100	6–0784	20 फीट	0–0240 हैक्टेयर	पांचरला	6960/–	बा.सो.

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.20 15:15:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

संलग्न नक्शे में प्रस्तावित रास्ते को बरंग ला दर्शाया गया है। उक्त रास्ते में कोई कीमती पेड़, मकान, आदि नहीं है। प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा निकटतम व वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। ग्राम पांचरला के खसरा नंबर 100 की डीएलसी दर(सिंचित सड़क के पास 2;90,000/— रूपये प्रति हैक्टेयर है। संलग्न नक्शा मौका फर्द का अभिन्न अंग है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता ने मौका रिपोर्ट अनुसार संशोधित शीर्षक पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 के कायम मुकाम के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का आद्योपांत अध्ययन अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिंतन मनन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों आदि पर बहस की, जिस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थ चित्त से विचारण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा दस्तावेजी साक्ष्यों पर युक्तियुक्त विचारणोपरांत यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है तथा इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है, उसका विवरण निम्नानुसार है—

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	रास्ते की चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	टीकमाराम दलाराम नागजी पि. जूंजा 3/4 हि. रमेश पुत्र गेनाराम अणसी पत्नी गेनाराम 1/4 हि. कौम रेबारी सा. देह खातेदार रहन दी सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लि. शाखा सेड़वा	100	6–0784	20 फीट	0–0240 हैक्टेयर	पांचरला	6960/—	बा.सो.

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.20 15:15:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व अत्यधिक आवश्यकता के दृष्टिगत उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1)–(b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार के पत्रांकः भू.अ./2025/225 दिनांक 19.05.2025 द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द दिनांक 24.04.2025 एवं संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस बरंग लाल से दर्शाया गया है जिसके अनुसार 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति राशि नियमानुसार डीएलसी दर की दो गुना राजकोष में अदा करेगें। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 19.05.2025 मय फर्द दिनांक 24.04.2025 व नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। प्रार्थीगण को उक्त खसरे में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है कि प्रस्तावित नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त निर्धारित राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकार (विप्रार्थीगण) को नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्तें में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि तहसीलदार सेड़वा को प्रदान करने के उपरान्त ही स्वयं द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जायेगा।

सहायक कलेक्टर सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.20 15:15:11 IST
Reason: SelfAttested

(4)

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।
5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्यधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता देने हेतु आज दिनांक 04/02/2026 को आदेश किया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर, दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.20 15:15:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.)सेडवा जिला बाडमेर

प्रक्रों क्र12

ए/भू.अ./2025/225 दिनांकः–19.05.2025

प्रेषितः– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, सेड़वा

विशयः– राजस्व आवेदन सं 99/2020 अनवान प्रागाराम वगैरह बनाम जूंजाराम वगैरह अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(A) में मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत् ।

उपरोक्त विशयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व 99/2020 अनवान प्रागाराम वगैरह बनाम जूंजाराम वगैरह वगैरह अन्तर्गत आर टी एक्ट की धारा 251 ए तहत ग्राम पांचरला के खसरा 100 रकबा 6.0784 हैक्टयर में आने जाने के लिए रास्ता दिया जाने हेतु आप द्वारा मौका रिपोर्ट चाही गई थी। जिसकी पालना में भू. अ. निरीक्षक सेड़वा द्वारा दिनांक 24.04.2025 को मौके पर जाकर जांच कर मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते हेतु नक्शा तैयार किया गया। मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते का नक्शा इस पत्रांक के सलंगन भिजवाया जा रहा है।

सलंगनः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(पन्नाराम चौधरी)

तहसीलदार (भू.अ.)सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.20 15:15:11 IST
Reason: SelfAttested

LR
~~प्रेषित~~
[signature]
28.4.25

सेवा मे

श्रीमान तहसीलदार महोदय
सेडवा

विषय :- राजस्व आवेदन सं. 99/2020 मिश्राराम प्रागाराम वगैरा बनाम जुंजाराम मे' RT Act धारा 251 A' मे मौका रिपोर्ट पेश करने बाबत्।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेडवा के राजस्व आवेदन सं. 99/2020 में ग्राम पांचरला के खसरा सं. 100 रकबा 6.0784 हैक्टेयर मे से प्रस्तावित रास्ता कुल रकबा 0.0240 हैक्टेयर की मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर श्रीमानजी की सेवा मे सादर पेश है।

भवदीय
[signature]
28/04/25
ILR कार्यालय

संलग्न
1) मौका फर्द मय नक्शा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.20 15:15:11 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन सं. 99/2020 अनवान डूंगाराम वगैरा बनाम जुंजाराम मे

मौका रिपोर्ट

(धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत)

मैं ......बसाराम...... (नाम) भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त......फागलिया......, कार्यालय, तहसीलदार ......सेडवा...... के आदेश कमांक ..425.... दिनांक 18/03/25...... की पालना में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज दिनांक 24/04/25 समय ....बजे आराजी खसरा नम्बर–......100...... वाके ग्राम पांचरला पटवार मंडल ......फागलिया...... पर श्री .... पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक .... दिनांक .... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :–

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
1	डूंगाराम पुत्र	वेनाराम	50	रेबारी	प्रार्थी
2.	हरजीराम पुत्र	वीलाराम	30	रेबारी	प्रार्थी
3	निम्बाराम पुत्र	चमनाराम	55	रेबारी	प्रार्थी
4	नरींगाराम पुत्र	वेनाराम	36	रेबारी	प्रार्थी
5	वेनाराम पुत्र	चमनाराम	72	रेबारी	प्रार्थी
6	हेमाराम पुत्र	चमनाराम	60	रेबारी	प्रार्थी
7	नागजीराम पुत्र	जुंजाराम	70	रेबारी	अप्रार्थी

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्मानुसार तैयार की गई :–

क्र. सं.	खातेदार नाम मय पता	ग्राम	खसरा	रकबा (है.)	किस्म	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	रास्ते की चौड़ाई
1.	टीकमाराम दलाराम नागजी पि० जूंजा 3/4 हि० रमेश पुत्र गेनाराम अणसी पत्नी गेनाराम 1/4 हि० कौम रेबारी सा० देह खातेदार रहन- दी सैण्ट्रल कोपरेटिव बैंक लि० शाखा सेडवा	पांचरला	100	6.0784 है.	का० सों०	0.0240 है०	6960/- रूपये (रू: छह हजार नौ सौ साठ रू.)	20 फीट

संलग्न नक्शे मे प्रस्तावित रास्ता [illegible] दर्शाया गया है, उक्त रास्ते मे किसी प्रकार का मकान, कीमती पेड़ इत्यादि नहीं है प्रस्तावित रास्ते की भूमि मौके पर खाली है प्रस्तावित रास्ते के अलावा निकटतम [illegible] वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। ग्राम पांचरला के ख० नं. 100 की DLC दर (सिंचित सड़क के पास) 2,90,000/- रूपये प्रति हेक्टेयर है संलग्न नक्शा मौका फर्द का अभिन्न अंग है।

C.S.

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

24/04/25
ILR फागलिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.20 15:15:11 IST
Reason: SelfAttested

उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनायी गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	प्रार्थी/अप्रार्थी
1	डूंगाराम पुत्र बेनाराम		रेबारी		अप्रार्थी
2.	हरजीराम पुत्र वीलाराम		"		"
3	निम्बाराम पुत्र चमनाराम		"		"
4	नगीगाराम पुत्र बेनाजी		"		"
5	बेनाराम पुत्र चमनाराम		"		"
6	हेमाराम पुत्र चमनाराम		"		

निम्न पक्षकारों ने मौका रिपोर्ट पढ़, सुन, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
1	नागजीराम पुत्र पूंजाराम		70	रेबारी	अप्रार्थी

मौके पर उपस्थित अन्य मौतबिरान को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनायी गयी और उनके निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं.
—	—				

इस प्रकार आज दिनांक 24/04/25 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

हस्ताक्षर
पटवारी
पं. मं.

हस्ताक्षर
भू. अ. निरीक्षक
वृत्त ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.20 15:15:11 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

बा.नि. नगीगा

बा.नि. बेनाराम

बा.नि. डूंगरा

बा.नि. हेमाराम

हरजी

बा.नि. निम्बाराम

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 24/04/2025 10:08:38 AM

...ला : बाड़मेर | तहसील : सेड़वा | भू. अ. नि. क्षेत्र : फागलिया

...का : फागलिया | ग्राम : पांचरला

राजस्व आवेदन 99/2020 प्रागाराम वगैरा बनाम ... में RT Act की धारा 251 'A' में मौका रिपोर्ट (प्रस्तावित रास्ता)

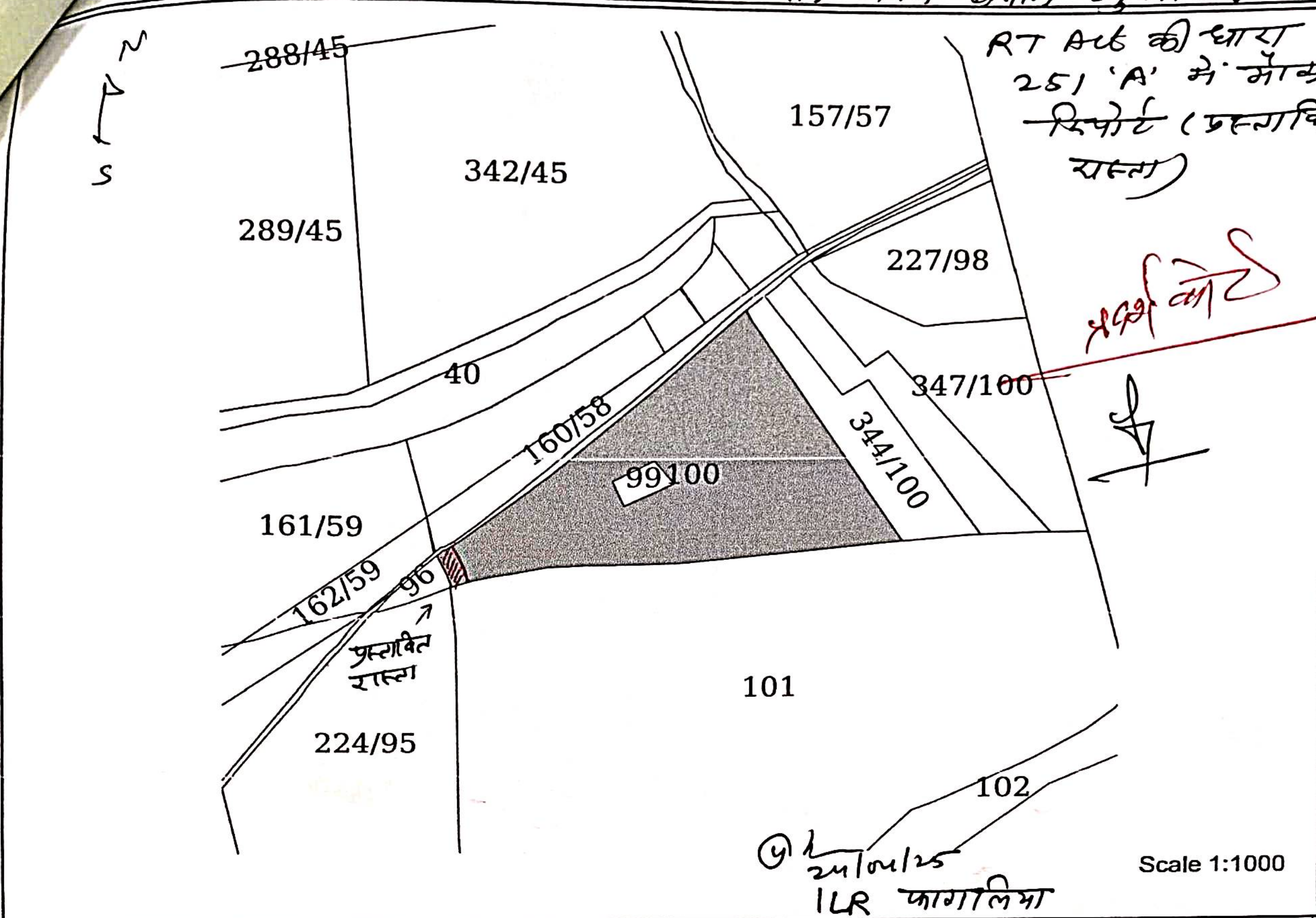

खसरा संख्या :100 क्षेत्रफल : 6.0784 Hectare खाता संख्या : 152पुराना खाता संख्या :38

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.सोयम [6.0784, 1.15]

1.) अणसी पत्नि गेना राम हिस्सा- 1/8 जाति- रबारी सा. देह खातेदार हिस्सा-1/8 (पूर्ण खाता) दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा सेडवा

2.) टीकमाराम पुत्र जूजा हिस्सा- 1/4 जाति- रबारी सा. देह खातेदार हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड

3.) दलाराम पुत्र जूजा हिस्सा- 1/4 जाति- रबारी सा. देह खातेदार हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड

4.) नागजी पुत्र जूजा हिस्सा- 1/4 जाति- रबारी सा. देह खातेदार हिस्सा-1/4 (पूर्ण खाता) दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड

5.) रमेश पुत्र गेना राम हिस्सा- 1/8 जाति- रबारी सा. देह खातेदार हिस्सा-1/8 (पूर्ण खाता) दी सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लिमिटेड शाखा सेडवा

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित ... करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.02.20 15:15:11 IST
Reason: SelfAttested